अखिल भारतीय समानता मंच (रजि.)
ALL INDIA EQUALITY FORUM (Regd.)

Reg No. S/32056/97

Regd Office : C-51, Fateh Nagar, Jail Road, P.O. Tilak Nagar, New Delhi - 110018
Head Office : # 55, 1st Main Road, H.G. Layout, Ganga Nagar, Bengaluru - 560 032, India
(M) : 09448367475 (R) : 080-2333 3456

Er. M. Nagaraj
National President
(09448367475)

Er. V.P. Nautiyal
Secretary General
(09412999185)

Er. S.D. Thimmegowda
Treasurer
(09448332309)

Ref.

Date :

ALL INDIA EQUALITY FORUM (Regd.No.S/32056/97)

The All India Equality Forum was formed by the Founder Members of erstwhile Akhil BharatiyaSoshitKartamchari Sangh and All India Non-Scheduled Caste / Tribe Railway Employees Association, which were fighting the issue for more than two decades, and was registered for All over India under the Societies Act at Delhi with Registration No. S/32056/97 Dated 09.10.1997. it serves as a common platform to protect fundamental rights of equality and to abolish caste-based reservations in India. Because caste-based reservation also violates fundamental right of equality and it encourages casteism.

The All India Equality forum was also the co-applicant in Honourable Supreme Court of India, in the famous M Nagraj and others versus Union of India and others case. Consequent upon the 77th and 85th amendments to the Constitution, various orders/notifications were issued, by the Central and State Governments, towards implementation thereof. The said orders/notifications, as also the 77th, 81st and 85th amendments to the Constitution, were challenged, before the Supreme Court, by the All India Equality Forum. The challenge, in WP (C) 413/1997, was to OM No.3602/18/dated 13th August 1997, issued by the DOPT, which is the root cause of continuing of reservation in promotions. Presently, AIEF is following certain cases that are very crucial for the entire Nation.

AIEF is pursuing cases of different states at Supreme Court. It is well known that following cases at Supreme Court level is a very costly affair, ordinarily beyond reach of an individual or single body.

It is in this perspective that each individual need to support the AIEF just as AIEF need the support of everyone. So that the issue is fought at national level and the benefits reach across the nation and upto the local level.

Let all organisationsfighting reservations join hands with the AIEF and get themselves Affiliatedwith the AIEF for a more stronger United effort.

Er. Vinod Nautiyal

Scanned with OKEN Scanner

अखिल भारतीय समानता मंच (रजि०)
मंच का इतिहास

इस मंच की स्थापना 12–11–1995 को हुई इससे पूर्व रेल विभाग में नौन एससी/एसटी रेलवे एम्पलाइज ऐसोसियेशन के नाम से पदोन्नति मे आरक्षण संबंधी मुददों पर सर्घषशील थी। देश में अन्य प्रान्तो में भी अनेक आरक्षण विरोधी संगठन कार्यरत थे वे भी सभी जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहे थे। सभी तत्कालीन प्रधानमत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर जाति आधारित आरक्षण का दायरा और बढ़ा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे भारत में एक तीव्र आन्दोलन हुआ जिसमें लगभग 400 छात्र/ छात्राओं ने मंडल आयोग लागू करने के विरोध में अपना आत्मदाह कर बलिदान दिया। देश को समस्त आरक्षण निति के कुप्रभाव से बचाने हेतु तथा संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार सुनिश्चित करने देश में व्याप्त छुआछूत, भेदभाव, भ्रष्टाचार पर अकुंश लगाने हेतु गैर राजनैतिक संगठन जो समस्त देशवासियों के समानता के अधिकार की रक्षक हो''

''अखिल भारतीय समानता मंच'' का गठन हुआ। जिसका 9–10–97 को रजिस्ट्रेशन कराया गया। 30 जनवरी 2000 में देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आरक्षण विरोधी महारैली की गई जिसमें लगभग एक लाख लोगों ने भाग लिया 1–2–2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी के बुलावे पर 11 सदस्यों प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिला तथा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल के समक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकारा कि सरकार ने आरक्षण के मुददों पर जो सविधान संशोधन किये वे आरक्षित वर्ग के दबाव के अन्तर्गत किये गये हैं। जिन्हे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का सुझाव दिया गया।

इस मंच द्वारा चारो सविधान संशोधनो को उच्च न्यायालय में चुनौति दी गई तथा उच्चतम न्यायलय की संविधान पीठ ने इन सविधान संशोधनों को कुछ शर्तो के साथ बैध ठहराया।

इस प्रकार वर्ष 2001 मे मंच ने 16 सहयोगी संगठनो से मिल कर स्वर्गीय जस्टिस शैभामल जैन जी के मार्ग दर्शन में जातिगत आरक्षण के दुष्प्रभाव की जानकारी आम जनता को देने हेतु 400 किलोमीटर की आठ राज्यो में आरक्षण मुक्ति यात्रा निकाली गई जो चण्डीगढ अम्बाला दिल्ली, गुडगाँव, जयपुर, टोंक, झालावाड़, कोटा, बुंदी, इन्दौर, उज्जैन, भोपाल, नागपुर, रीवा, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, मथुरा, फरीदाबाद होते हुये राज घाट दिल्ली मे समाप्त हुई।

इससे पूर्व मंच द्वारा समय–समय पर देश के प्रमुख शहरों में जन–चेतना जगाने हेतु निम्न प्रकार राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

1.	14–15	सितम्बर	1996	बीकानेर
2.	12	जुलाई	2003	नई दिल्ली
3.	12–13	मार्च	2005	जयपुर
4.	16	जुलाई	2006	नई दिल्ली
5.	7	अक्टूबर	2007	चण्डीगढ
6.	17	फरवरी	2008	मुसावल
7.	26	जुलाई	2009	लखनऊ
8.	12–13	मार्च	2011	अम्बाला
9.	17–18	नवम्बर	2012	कपूरथला
10.	23–24	नवम्बर	2019	देहरादून

मंच की विचार धारा–

जाति हमारी भारतीय धर्म हमारा राष्ट्रीयता

अनेकता में एकता, यह मंच की विशेषता

श्याम लाल शर्मा बिंजोला
संस्थापक सदस्य
अखिल भारतीय समानता मंच (रजि०)

Scanned with OKEN Scanner

आरक्षण : न्यायिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अनुसार समाज के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। भारत में आरक्षण की व्यवस्था संविधान लागू होने के बाद के प्रारम्भिक दस वर्षों के लिए अस्थाई रूप से प्रारम्भ की गयी थी, जिसे निरंतर दस–दस वर्षों के लिए बढ़ाया जाता रहा है।

1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति–आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय कर दी थी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग से आरक्षण लागू किए जाने कोभी सही ठहराया। आरक्षण सुविधाओं का लाभ उठाने वाले अन्य पिछड़े वर्ग की "मलाईदार परत का सिद्धांत" भी प्रतिपादित किया गया। इस वाद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त करना कि संविधान प्रोन्नतियों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता।

इस निर्णय के उपरांत प्रोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था किए जाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया तथा अनुच्छेद 16 (4 ।) समाविष्ट किया गया. 1995 में संसद ने 77वां संविधान संशोधन पारित करके इस अनुच्छेद के माध्यम से प्रोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई।

किन्तु नागराज और अन्य बनाम भारत सरकारवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले के बाद यह स्थिति बदल गई। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण पर रोक तो नहीं लगाई लेकिन इससे जुड़ी पांच शर्तें रख दीं. (क) आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती, (ख) अ.जा. और अ.ज.जा. का पिछड़ापन आंकड़ों से सिद्ध करना होगा, (ग) पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए सरकारी नौकरियों मेंअ.जा. और अ.जा.जा. के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता आंकड़े से सिद्ध की जानी होगी,(घ) यह देखना होगा कि पदोन्नति में आरक्षण से प्रशासन की क्षमता पर बुरा असर न पड़े और (ड) अ.जा. और अ.ज.जा. के आरक्षण में भी "क्रीमी लेयर सिद्धांत" लागू हो सकता है।

नागराज वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर अनेक राज्यों में पदोन्नति में आरक्षण की प्रचलित व्यवस्था असंवैधानिक घोषित कर दी गयी। उत्तर प्रदेश राज्य में उ.प्र. पॉवर कॉरपोरेशन लि. बनाम राजेश कुमार व अन्य वाद में वर्ष 2012 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर उत्तर प्रदेश में और विनोद प्रकाश नौटियाल व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य वाद में उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्णय के आधार पर उत्तराखंड में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो गयी।

नागराज और अन्य बनाम भारत सरकारवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जरनैल सिंह और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्यवाद चुनौती दी गयी। जिसमें 26 सितंबर 2018 को दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने नागराज निर्णय की समीक्षा के लिए बड़ी खंडपीठ को संदर्भित किए जाने की आवश्यकता से इनकार किया. नागराज फैसले में जो पांच बातें हैं, उनमें से सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र बदलाव यह किया कि अ.जा. और अ.ज.जा. के पिछड़ेपन को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, राष्ट्रपति की स्वीकृति से इन समुदायों की जो सूची बनी है, उसमें होने भर से किसी समुदाय का पिछड़ापन निर्विवाद हो जाएगा। यह निर्णय इस आधार पर किया गया है कि चूंकि इंदिरा साहनी केस में नौ जजों की खंडपीठ यह मान चुकी है कि अ.जा. और अ.ज.जा. का पिछड़ापन साबित करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नागराज वाद में पांच जजों को खंडपीठ द्वारा इसे पलट देना सही नहीं है। नागराज वाद के शेष निर्णय की पुष्टि कर दी गयी।

जनरैल सिंह वाद में दिए गए उक्त निर्णय के आधार पर इस वर्ष अप्रैल में उत्तराखंड में उच्च न्यायलय नैनीताल द्वारा यह कहते हुए, कि अब अ.जा. और अ.ज.जा.के पिछडेपन और सेवाओं में उनकी अपर्याप्तता को आंकड़ों से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य में पदोन्नति में आरक्षण की 2012 से पूर्व प्रचलित व्यवस्था को संवैधानिक मानते हुए राज्य सरकार को तत्संबंधी निर्देश जारी किए। अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए उच्च न्यायलय नैनीताल द्वारा हाल ही में 15 नवम्बर को अपने अप्रैल के निर्णय को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था दी है कि अ.जा. और अ.ज.जा.के पिछडेपन को तो आंकड़ों से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु सेवाओं में अपर्याप्तता को आंकड़ों से अवश्य सिद्ध किया जाना होगा, तथा यह कि संविधान का अनुच्छेद 16 (4 ।) मात्र एक समर्थकारी उपबंध है तथा पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाना अथवा न किया जाना राज्य सरकार के विवेकाधीन है। अन्य राज्यों में पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों पर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने यथा स्थिति के आदेश दिए हुए हैं तथा ये प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

यशपाल सिंह,
विधि सलाहकार

Scanned with OKEN Scanner

पदोन्नति में आरक्षण से सम्बंधित प्रमुख मामले

क्र. सं.	वाद/संशोधन का विवरण	उद्धरण	निर्णय/संशोधन का सार
01.	इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ [रिट याचिका (सिविल) संख्या 930 ऑफ 1990] (सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक : 16 नवम्बर 1992)	एआईआर (AIR) 1993 SC 477 1992 Supp (3) SCC 217 1992 supp 2 SCR 454	•जातिगत आरक्षण अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही हो सकता है. •सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग से आरक्षण लागू किया जाना उचित है. •अन्य पिछड़े वर्ग की "मलाईदार परत का सिद्धांत" प्रतिपादित किया गया. •संविधान पदोन्नतियों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता.
02.	77 वां संविधान संशोधन [17 जून 1995]	अनुच्छेद 16 (4A) समाविष्ट किया जाना	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया
03.	एम. नागराज एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य [रिट याचिका (सिविल) संख्या 61 ऑफ़ 2002] (सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक : 19 अक्टूबर 2006)	एआईआर (AIR) 2007 SC 71	•पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी संविधान संशोधन संविधान सम्मत हैं. •आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक ही अनुमन्य •अ.जा. और अ.जा.जा. का पिछड़ापन आंकड़ों से समर्थित होना चाहिए •पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए सरकारी नौकरियों में अ.जा. और अ.जा.जा. के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता सम्बन्धी आंकडे जुटाने अनिवार्य हैं •यह सुनिश्चित करना होगा कि पदोन्नति में आरक्षण से प्रशासन की क्षमता विपरीत रूप से प्रभावित न हों •अ.जा. और अ.जा.जा. के आरक्षण में भी "क्रीमी लेयर सिद्धांत" लागू हो सकता है.
04.	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. बनाम राजेश कुमार व अन्य [सिविल अपील संख्या 2608/2011] (सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक : 27 अप्रैल 2012)	(2012) 7 SCC 1	•उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 3(7), जो पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करती थी, असंवैधानिक घोषित
05.	विनोद प्रकाश नौटियाल व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य [रिट याचिका संख्या (एस/बी) 45 ऑफ़ 2011]		•उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथा उत्तराखंड में अनुप्रयुक्त) की धारा 3(7), जो पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करती थी, असंवैधानिक घोषित
	(उच्च न्यायालय, नैनीताल का निर्णय दिनांक : 10.07.2012)		
06.	जरनैल सिंह व अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता व अन्य [विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 30621ऑफ़ 2011] (सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक : 26 सितम्बर 2018)	2018 SCC ऑनलाइन SC 1641 2018 AIOL 3834 2018 7 SLT 639	•एम. नागराज वाद में प्रख्यापित निर्णय को समीक्षा के लिए बड़ी खंडपीठ को संदर्भित किए जाने की आवश्यकता नहीं है •अ.जा. और अ.जा.जा. के पिछड़ेपन को स्थापित करने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है •एम. नागराज वाद में प्रख्यापित शेष निर्णय की पुष्टि कर दी गयी

- यशपाल सिंह, विधि सलाहकार

Scanned with OKEN Scanner